- प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्र. 1214/2011

महमूद खान

...याचिकाकर्ता

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

...उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्र. 1215/2011

ललित कुमार सोनी

...याचिकाकर्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

...उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्र. 1216/2011

अश्वनी ठाकुर

...याचिकाकर्ता

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

...उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्र. 1218/2011

नन्द कुमार चंद्राकर

...याचिकाकर्ता

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

...उत्तरवादीगण

<u>रिट याचिका (सेवा) क्र. 1219/2011</u>

राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा

...याचिकाकर्ता

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

...उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>रिट याचिका (सेवा) क्र. 1220/2011</u>

प्रकाश चंद्र पांडे

...याचिकाकर्ता

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

...उत्तरवादीगण

<u>रिट याचिका (सेवा) क्र. 1221/2011</u>

वीरेंद्र बहादुर सिंह ध्रुव

...याचिकाकर्ता

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

...उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्र. 1222/2011

हीरा राम चंद्राकर

...याचिकाकर्ता

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

...उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्र. 1224/2011

बी.एस. चंदेल

...याचिकाकर्ता

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

...उत्तरवादीगण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सेवा) क्र. 1225/2011

प्रकाश चंद्राकर

...याचिकाकर्ता

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

...उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्र. 1223/2011

पन्ना लाल कश्यप

...याचिकाकर्ता

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

...उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्र. 1226/2011

महेंद्र कुमार साय

...याचिकाकर्ता

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

...उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्र. 1227/2011

सुखदेव प्रसाद यदु

...याचिकाकर्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

...उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्र. 1228/2011

फिरंता लाल चंद्राकर

...याचिकाकर्ता

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

...उत्तरवादीगण

रिट याचिका (सेवा) क्र. 1229/2011

उदय राम साहू

...याचिकाकर्ता

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

...उत्तरवादीगण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका

एकल पीठ : माननीय श्री सतीश के अग्निहोत्री, न्यायाधीश

- -

उपस्थिति:

श्री चंद्रेश श्रीवास्तव, अधिवक्ता याचिकाकर्ताओं के लिए ।

श्री वाई.एस. ठाकुर, उप महाधिवक्ता, राज्य/उत्तरवादी क्र. 1 की ओर से।

- -

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आदेश (मौखिक)

(05 मार्च, 2011 को उद्घोषित)

(1) चूंकि रिट याचिका (सेवा) क्र. 1214, 1215, 1216, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1224, 1225, 1223, 1226, 1227, 1228 और 1229 वर्ष 2011 में सामान्य तथ्य और विधि के सामान्य प्रश्न निहित हैं, इसलिए, उनका निराकरण इस समान आदेश द्वारा किया जा रहा है।

(2) इन याचिकाओं में दिनांक 07-02-2011 के आदेशों (अनुलग्नक पी/1) को चुनौती दी गई है, जो उत्तरवादी क्र. 2 अर्थात प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड द्वारा पारित किए गए हैं, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं को, जो क्रमशः वरिष्ठ

सहायक, धान संग्रहण केंद्र, बसना, महासमुंद, क्षेत्र सहायक, धान संग्रहण केंद्र, फुंडाभाटा, दुर्ग, क्षेत्र सहायक, धान संग्रहण केंद्र, डबराभाटा, कवर्धा, वरिष्ठ सहायक, धान संग्रहण केंद्र, महासमुंद, सहायक प्रबंधक, धान संग्रहण केंद्र, बागबाहरा, महासमुंद, क्षेत्र सहायक, धान संग्रहण केंद्र, लोरमी ओपन, बिलासपुर, वरिष्ठ सहायक, धान संग्रहण केंद्र, भरनी ओपन, बिलासपुर, सहायक प्रबंधक, धान संग्रहण केंद्र, पिथौरा, महासमुंद, सहायक प्रबंधक, धान संग्रहण केंद्र, जगतारा, दुर्ग, क्षेत्र सहायक, धान संग्रहण केंद्र, धरसींवा, रायपुर, क्षेत्र सहायक, धान संग्रहण केंद्र, सरायपाली, महासमुंद, क्षेत्र सहायक, धान संग्रहण केंद्र, खरारा, रायपुर, वरिष्ठ सहायक, धान संग्रहण केंद्र, जेवरा सिरसा, दुर्ग, वरिष्ठ सहायक, धान संग्रहण केंद्र, करंजा भिलाई, दुर्ग, और सहायक प्रबंधक, धान संग्रहण केंद्र, बिजाभाटा, दुर्ग के पदों पर कार्यरत थे, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ सेवा नियम, 2007 (संक्षेप में 'नियम, 2007') के नियम 27(1) के प्रावधानों के तहत निलंबित कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि खरीफ विपणन वर्ष 2009-2010 के लिए धान के संग्रहण और निपटान में हानि हुआ है और आगे, याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री चंद्रेश श्रीवास्तव ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं को उनके संबंधित धान संग्रहण केंद्रों पर पदस्थापन के दौरान धान का उचित अभिलेख रखा गया और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन किया गया। हालांकि, कई बार अनुरोध करने के बावजूद, याचिकाकर्ताओं को धान के उचित भंडारण, संग्रहण और निपटान के लिए उपयुक्त बुनियादी ढांचा उपलब्ध नहीं कराया गया। याचिकाकर्ताओं का कर्तव्य और दायित्व धान के संग्रहण के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ बनाना और अपने-अपने संग्रहण केंद्रों से धान के निपटान की व्यवस्था करना

था। धान का निपटान न हो पाने के कारण, याचिकाकर्ताओं के धान संग्रहण केंद्रों में क्रमशः औसतन 5.11%, 4%, 6.55%, 4.12%, 4.13%, 4.59%, 5.16%, 5.24%, 6.34%, 5.87%, 4.94%, 4.20%, 6.18%, 4.53% और 5.59% धान की हानि हुआ। उक्त हानि के लिए, उत्तरवादी क्र. 3 ने दिनांक 18-11-2010 को याचिकाकर्ताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया (रिट याचिका (सेवा) क्र. 1214/2011 का अनुलग्नक पी/6), जिसका संबंधित याचिकाकर्ताओं ने विधिवत उत्तर दिया।

(4) श्री श्रीवास्तव ने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं को निलंबित करने की उत्तरवादी अधिकारियों की कार्रवाई मनमानी, अवैध और भेदभावपूर्ण है क्योंकि उन धान संग्रहण केंद्रों के प्रमुखों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई है जहां हानि 1% से अधिक है। श्री श्रीवास्तव ने आगे निवेदन किया कि नियम, 2007 के नियम 27(2अ) और दिनांक 23-11-2010 के परिपत्र (रिट याचिका (सेवा) क्र. 1214/2011 के अनुलग्नक पी/14) के प्रावधानों के तहत, आक्षेपित निलंबन आदेश कारण स्पष्ट किए बिना पारित नहीं किए जा सकते थे। इसके अलावा, आक्षेपित आदेश पारित करते समय याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत जवाब पर भी विचार नहीं किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(5) याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क सुनी, और उनके द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों और उनसे जुड़े दस्तावेजों का अवलोकन किया।

(6) नियम, 2007 का नियम 27(1) इस प्रकार है:

"कंडिका 27 निलंबन -

(1) नियुक्ति प्राधिकारी या प्रबंध संचालक किसी कर्मचारी को निलंबित कर सकेगाः-

अ- जहां उसके विरुद्ध अनुशासित कार्यवाही की जाना अपेक्षित हो या अनुशासित कार्यवाही लंबित हो.

ब- जहां उसके विरुद्ध किसी भी दंडिक अपराध के संबंध में कोई मामला अन्वेषण जांच या परीक्षण के अधीन हो निलंबित कर सकेगा। परन्तु जहां निलंबन का आदेश किसी ऐसे अधिकारी द्वारा दिया गया हो कि नियुक्ति प्राधिकारी या प्रबंध संचालक के निम्नतर श्रेणी का हो तो ऐसा अधिकारी तत्क्षण उन परिस्थितियों की जिसमें की आदेश दिया गया था कि रिपोर्ट नियुक्ति प्राधिकारी या प्रबंध संचालक को करेगा।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(7) अतः, उपर्युक्त नियमों के प्रावधानों के तहत किसी कर्मचारी को निलंबित करने की आवश्यकता यह है कि नियुक्ति प्राधिकारी या प्रबंध संचालक किसी कर्मचारी को निलंबित कर सकते हैं यदि कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय जांच की संभावना हो या वह लंबित हो।

(8) निलंबन आदेशों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रबंध संचालक ने कारणों को दर्ज किया हैं कि चावल के संग्रहण और निपटान में अनियमितता के कारण याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध विभागीय जांच शुरू करने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार, याचिकाकर्ताओं को नियम 27(1) के प्रावधानों के तहत निलंबित कर दिया गया था।

(9) यह स्पष्ट है कि किसी कर्मचारी को निलंबित करने के लिए विधिक आवश्यकताएँ हैं, पहली, अनुशासनात्मक जाँच की संभावना या जाँच लंबित होना, और दूसरी, यदि कोई दांडिक मामला जाँच, पूछताछ या विचारण के लिए लंबित हो। याचिकाकर्ताओं को नियम, 2007 के नियम 27(1)(अ) के प्रावधानों के तहत निलंबित किया गया था।

(10) याचिकाकर्ताओं द्वारा दिनांक 23-11-2010 के राज्य सरकार के परिपत्र (रिट याचिका (सेवा) क्र. 1214/2011 के अनुलग्नक पी/14) पर भरोसा करना, जिसमें यह प्रावधान है कि किसी कर्मचारी को निलंबित करने से पहले आरोप की गंभीरता और प्रकृति की जांच की जानी चाहिए, याचिकाकर्ताओं के मामलों पर लागू नहीं होता है, अर्थात् उत्तरवादी-संघ के कर्मचारियों पर। उक्त परिपत्र में ही यह इंगित किया गया है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1966 के नियम (9) के तहत निलंबन के लिए, राज्य द्वारा परिपत्र में जारी दिशानिर्देशों पर विचार किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं के मामले नियम, 1966 के अंतर्गत नहीं बल्कि नियम, 2007 के प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा, कार्यकारी ज्ञापन/निर्देश वैधानिक नियमों के प्रावधानों का स्थान नहीं ले सकते।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(11) सर्वोच्च न्यायालय ने *पी.एल. शाह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया*[1] मामले में निलंबन की प्रकृति पर विचार करते हुए निम्नलिखित निर्णय दिया:

> "6. निलंबन का आदेश किसी दोषी व्यक्ति पर दंड आरोपित करने वाला आदेश नहीं है। यह आदेश दोषी पाए जाने से पहले ही उसके विरुद्ध जारी किया जाता है ताकि उसके विरुद्ध शुरू की गई कार्यवाही का सुचारू रूप से निपटारा हो सके।

[1] (1989) 1 एससीसी 546

जनहित में और संबंधित शासकीय कर्मचारी के हित में ऐसी कार्यवाही को शीघ्रता से पूरा किया जाना चाहिए।..."

(12) *स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और अन्य बनाम हरबंस लाल*[2] के मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

"2. इस मामले में उत्पन्न होने वाले संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या अपीलकर्ता बैंक शास्त्री अवॉर्ड के अनुसार आरोप पत्र जारी करने से पहले उत्तरवादी को निलंबित कर सकता था। शास्त्री अवॉर्ड की कंडिका 521(10)*(बी)* इस प्रकार है:

"ऐसी जांच लंबित रहने के दौरान उसे निलंबित किया जा सकता है, लेकिन यदि जांच के निष्कर्ष पर उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने का निर्णय लिया जाता है, तो उसे कर्तव्य पर माना जाएगा और निलंबन की अवधि के लिए वह पूर्ण वेतन, भत्ते और अन्य सभी विशेषाधिकारों का हकदार होगा; और यदि बर्खास्तगी के अतिरिक्त कोई अन्य दंड दिया जाता है, तो निलंबन की पूर्ण या आंशिक अवधि को प्रबंधन के विवेक पर कर्तव्य पर माना जा सकता है और उसे वेतन, भत्ते आदि के एक समान हिस्से का हकदार माना जाएगा।"

4. उपरोक्त खंड 12*(iii)* द्वारा, कंडिका 521(10)*(बी)* में "ऐसी जांच लंबित" अभिव्यक्ति को स्पष्ट किया गया और आगे संशोधित किया गया कि जहां अनुशासनात्मक कार्यवाही

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[2] (2000) 6 एससीसी 504

प्रस्तावित या विचाराधीन है, वहां एक कर्मचारी को निलंबित किया जा सकता है और किसी भी आरोप पत्र जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। विधिक स्थिति यही होने के कारण, जब उत्तरवादी के विरुद्ध विभागीय जांच की योजना बनाई जा रही थी, तब अपीलकर्ता बैंक को उसे निलंबित करने का अधिकार और शक्ति प्राप्त थी।"

(13) याचिकाकर्ताओं द्वारा उद्धृत *उड़ीसा राज्य, गृह विभाग के प्रधान सचिव बनाम बिमल कुमार मोहंती*[3] मामले में निर्धारित सिद्धांत वर्तमान मामलों के तथ्यों पर लागू नहीं होता है, क्योंकि उस मामले में स्थिति ऐसी थी कि राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा निलंबन पर रोक लगाए जाने के बाद सतर्कता दल द्वारा उत्तरवादी के घर की तलाशी ली गई थी, और इसके अतिरिक्त, वर्तमान मामलों में ऐसा कोई आरोप नहीं है कि निलंबन आदेश दुर्भावना या किसी अन्य छिपे हुए उद्देश्य से प्रेरित थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(14) यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि निलंबन अस्थायी होता है और इसमें सिविल परिणामों वाला कोई दंड शामिल नहीं होती। निलंबन का अर्थ है कार्यों से अस्थायी रूप से वंचित करना, जिससे उनके पद या प्रतिष्ठा में कोई कमी नहीं आती। निलंबित कर्मचारी अभी भी कर्मचारी है, विभागीय जांच लंबित होने के कारण उसे काम करने की अनुमति नहीं है ताकि विभागीय जांच की कार्यवाही में अनुचित प्रभाव डालने और अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ की संभावना को रोका जा सके।

(15) अतः, याचिकाएँ गुण-दोष रहित हैं और तदनुसार खारिज की जाती हैं।

---

[3] (1994) 4 एससीसी 126

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By – Brijesh Kumar Tiwari

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur